विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। –अथर्ववेद

अग्निपथ पर अग्निवीरों, बढ़े चलो-बढ़े चलो, सेवा-कर्तव्य है, करते चलो-करते चलो!

'अग्निपथ योजना' क्या है, इससे किसको लाभ होगा और किसको नुकसान? यह भी सच है कि सेना की नौकरी में जान को खतरा है, किन्तु नौकरी की सुरक्षा है और आजीवन पेंशन है। पेंशन पर सेना का खर्चा 82.5 प्रतिशत है। सेना में लगभग 15.5 लाख व्यक्ति सक्रिय काम करते हैं। सेना की नौकरी में भारत चीन से पीछे है। हमारा सेना का बजट 77 अरब डालर 2013-14 में था चीन का 292 अरब डालर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पेंशन पर होने वाला खर्चा बहुत अधिक है और बढ़ता भी रहता है यह 2020-21 में 125 प्रतिशत बढ़ गया है। अग्निपथ योजना सेना में भर्ती का एक नया तरीका है, जिसमें 25 प्रतिशत लोगों की सेना में भर्ती दी जाती है और शेष को सरकारी विभागों में जो पद खाली होंगे उन नौकरी में प्राथमिकता दी जावेगी। 25 प्रतिशत की सीमा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में 46500 अग्निवीरों को रक्षाबलों में लगाया जावेगा। इस योजना में पहिले पुरूषों को लिया जावेगा। महिलाओं के लिये भी लागू होगी। इससे सेनाओं की औसत आयु में कमी आयेगी। कई राज्य सरकारों ने जैसे हरियाणा आदि तथा कम्पनियों ने जैसे आनन्द महिन्द्रा और हर्ष गोयनका ने आश्वासन दिया है कि वे अग्निवीरों को, अपने यहां विभिन्न खाली पदों पर लेगें। डोभाल ने इस योजना के कई लाभ बतलाये हैं और कहा है कि बदलते समय में बदलाव की आवश्यकता है।

अग्निपथ योजना में सशस्त्र बलों को शिक्षा भी दी जावेगी, वे डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा की उम्र 171/2 से 21 वर्ष होगी, इसे 23 वर्ष कर दी है (यह एक वर्ष के लिये है)। यूनिफार्म मिलेंगी, रिस्क ट्रेवल अलाउन्स मिलेगा। साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेंगी सिक लीव भी मिलेंगी। पोस्टिंग की जगह के हिसाब से अग्निवीरों को सैनिकों की तरह विशेष भत्ते मिलेंगे। अग्निवीरों की अलग केटेगरी होने से उन्हें डीए, पेन्शन, ग्रेच्यूटी नहीं मिलेगी। पहले जैसे भर्ती सेना में होती रहेगी। अग्निवीर बनने के बाद गृह व रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जावेगा। हर माह 30 हजार की सेलेरी व हर माह इन्क्रीमेन्ट मिलेगा। चार साल के बाद 10.40 लाख रूपये सेवा निधि के रूप में दी जावेगी। यदि वे नहीं लेते हैं तो लगभग 10000/- रूपये प्रतिमाह प्राप्त कर सकते हैं जिसे पेन्शन का एक रूप मान सकते हैं। वायु सेना की गाइड लाइन्स के अनुरूप ऑनर ऑफ अवार्ड भी मिलेंगे। लेफ्टीनेंट जनरल पुरी ने कहा है कि देश की सेवा में बलदान देने वालों को (अग्निवीरों को) एक करोड़ का मुआवजा मिलेगा।

अग्निपथ योजना के विरोध में देश जल रहा है, उत्तर ही नहीं दक्षिण में भी आगजनी हो रही है। देश की सम्पत्ति जलाई जा रही है और सरकारी व प्राइवेट प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रेल्वे ट्रेक अग्निपथ हो रहे हैं- रेलें, बसें, मोटरसाईकिलें, स्टेशन और अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों को आगजनी से नुकसान हुआ है। सफर करने वाले यात्री परेशान हैं। 14 राज्यों में आगजनी हुई है। उपद्रव हो रहे हैं। 21 ट्रेनें जलाई गई। एक ट्रेन की कीमत 30 करोड़ रूपये है एक इंजन 12 करोड़ रूपये का है तथा एक एसी कोच 2-5 करोड़ रूपये का है। रेल्वे की सम्पत्ति और यात्रियों को रिफण्ड मिलाकर एक हजार करोड रूपये का नुकसान हुआ। 12 लाख यात्रियों की यात्रा रद्द हुई। 922 ट्रेनें रद्द हुई। 120 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुईं। भारत बंद के समय 500 ट्रेनें बंद हुईं। 40 से अधिक शहरों में पत्थर बाजी हुई है इससे होने वाला तथा बसें आदि के जलाने का नुकसान अलग है। शहरों के बीच घनी आबादी में पत्थर कहां से आये, यह प्रश्न मुंह खाये खड़ा है। पत्थर बाजी सुयोजित सी कई शहरों में दिखाई दे रही है। यह भी स्पष्ट होता जा रहा है, इसके पीछे कौन-कौन हैं? सेना ने स्पष्ट किया है कि युवाओं को भड़काने में कोचिंग संचालक भी जिम्मेदार हैं।

सेना की भर्ती अग्निपथ योजना अनिवार्य नहीं है, फिर इतना हंगामा क्यों? जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजये ने सही कहा है कि 'अगर किसी को पसंद न हो तो वह भर्ती की अर्जी न दे आन्दोलन की क्या जरूरत है'। नौकरी की सुरक्षा व पेंशन की मांग का यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि "आप सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करके राज्य को आपको रोजगार देने के हेतु मजबूर करें"। हिंसक आन्दोलन का गांधी के देश में कोई स्थान नहीं है।

अग्निपथ योजना एक कम्पलीट पैकेज है। नया दृष्टिकोण है। योजना को वर्तमान रूप देने में लगभग 250 बैठकें और 750 घंटे वार्ता हुई है। रक्षा मंत्रालय, सेना व सरकार के कई विभागों ने भाग लिया है। कई देशों में इस प्रकार की योजना का चलन है। पीडब्ल्यूडी आदि में वर्कचार्ज, केजूअल व नियत समय के सेवा अनुबंध प्रचलन में हैं जहां पेन्शन नहीं दी जाती।

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिये मूल कर्त्तव्य निर्धारित किये हैं। अनुच्छेद 51क में मूल कर्त्तव्य दिये हैं, उनमें निम्नलिखित कर्त्तव्य प्रमुख हैं :-

(1) अनुच्छेद 51क (घ) :- देश की रक्षा करें और आव्हान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(2) अनुच्छेद 51(झ):- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें।

ऊपर चरणों में स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना में भर्ती के हेतु एप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। अत: वह यदि पसंद नहीं करता तो फिर वह क्यों आंदोलन करना चाहता है, समझ से परे है। यों रक्षामंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, तीनों सेना प्रमुख व डोभाल व अन्य कई लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना बहुत लाभकारी है और युवाओं को स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। ऐसा प्रतीत होता है सेना में भर्ती को भी राजनैतिक रंग दे दिया है और कई राजनैतिक पार्टियां आन्दोलनकारी युवाओं के पीछे खड़ी हो गई हैं। यह भी शंका के घेरे में है कि भर्ती में अर्जी देने वाले इस भीड़ में कितने हैं। यह निर्विवाद पूर्ण है कि नेतागण व तथाकथित युवा सभी भारतीय नागरिक हैं और इस कारण संविधान के अनुच्देद 51क में दिये गये कर्त्तव्यों में उपचरण (झ) व (घ) में दिये गये कर्त्तव्यों के विरूद्ध उनका आचरण है। इन्हें आंदोलन का अधिकार नहीं है क्योंकि ये या तो हिंसा में लीन हैं अथवा देश की सेवा नहीं करना चाहते तथा अन्य Abatement के दोषी हैं।

'अग्निपथ योजना' के कई लाभ हैं 171/2 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र में ही वह इतना कमा सकता है कि नौकरी न मिलने पर सरकार से कम ब्याज पर ऋण लेकर व्यापार भी कर सकता है। कई राज्यों को जैसे हरियाणा, यूपी, उत्तराखण्ड आदि ने नौकरी में वरीयता देने की बात की है। अग्निवीरों को 48 लाख तक का इंश्योरेन्स कवर भी मिलेगा।

25 प्रतिशत को नौकरी में रखने की शर्त प्रति स्पर्धा को जम्न लेगी और हमें इस प्रकार बहुत अच्छे सैनिक मिलेंगे। संविधान ने भी युवाओं को आव्हान किया है कि देश को आवश्यकता होने पर वे देश की सेवा करेंगे। अग्निपथ योजना इसी प्रकार का आव्हान है। आन्दोलन हिंसक हुआ है और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान जबकि उनकी रक्षा करना संवैधानिक कर्त्तव्य है।

दिनांक 19 जून की तीनों सेनाओं की ओर से स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना का मूल उद्देश्य यह है कि सेनाओं और युवाओं को अधिक ताकतवर बनाना है और घोषणा की है अग्निपथ योजना वापिस नहीं होगी रोलबैक नहीं की जावेगी। सेना में अनुशासनहीनता के लिये केाई स्थान नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी देना होगा कि वह किसी भी हिंसक आंदोलन में शामिल नहीं रहा है। उनकी जांच कराई जावेगी।

लेफ्टिनेंट पुरी ने कहा कि वर्ष 1989 में अग्निपथ योजना पर विचार हुआ था। किन्तु निरन्तर प्रयत्न करने पर अब सफलता प्राप्त हुई है। अग्निपथ योजना एक कम्पलीट पैकेज है। नया दृष्टिकोण है। योजना को वर्तमान रूप देने में लगभग 250 बैठकें और 750 घंटे वार्ता हुई है। रक्षा मंत्रालय, सेना व सरकार के कई विभागों ने भाग लिया है। कई देशों में इस प्रकार की योजना का चलन है। पीडब्ल्यूडी आदि में वर्कचार्ज, केजूअल व नियत समय के सेवा अनुबंध प्रचलन में हैं जहां पेन्शन नहीं दी जाती। इसलिये यह कहना कि जल्दी में बिना सोचे यह योजना लागू की गई है सही नहीं है। यह सही है कि योजना में कुछ संशोधन हुये हैं, किन्तु कहा जा सकता है कि विवाद को सुलझाने के हेतु सरकार ने कुछ बातें मान ली हैं क्योंकि योजनाओं में नीतिगत सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिनांक 20.06.2022 को एम एल शर्मा एडवोकेट ने एक पीआईएल दायर कर यह अनुतोष चाहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति दिनांक 04.06.2022 अवैध, असंवैधानिक, अनाधिकृत व शून्य (Void) है। पिटीशनर का केस है कि अधिकारी जो परमानेंट कमीशन पर भर्ती लेते हैं वे 60 वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं किन्तु अग्निवीरों को जो अग्निपथ योजना में भर्ती होंगे उनमें से केवल 25 प्रतिशत ही लिये जावेंगे, शेष का भविष्य अंधकार में है, उन्हें सेवा से 4 वर्ष बाद निकाल दिया जावेगा। स्पष्ट है दोनों सेवाओं का उद्देश्य अलग-अलग, कंडीशन ऑफ सर्विस भी अलग है अत: अग्निपथ योजना न तो अवैध है और न असंवैधानिक। इस पिटीशन में यह स्वीकार किया है अग्निपथ योजना में भर्ती चाहने वालों का आन्दोलन हिंसक है, उन्होंने रेलों को जलाया है और सार्वजनिक रास्तों को ब्लाक किया है सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों ही कार्य मूल अधिकारों के अनुच्छेद 51क (घ) व 51क (झ) के विरूद्ध है, इस प्रकार पिटीशनर जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे देश के नागरिक का कर्त्तव्य नहीं निभाने के कारण पिटीशन प्रस्तुत करने के ही अधिकारी नहीं है। सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी कोर्ट में पिटीशन दायर करने का Locus Standi नहीं रखता है।

अन्य पिटीशनस् भी पेश हुई है उसमें एसआईटी का गठन कर, जो सार्वजनिक सम्पत्ति रेल्वे का नुकसान हिंसक आंदोलन से हुआ है, उसकी जांच कराने और हर्जा वसूली करने के अनुतोष की मांग की है। दिनांक 21.06.2022 के आदेश से सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन पीठ ने इन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित किया जावे। सरकार ने भी पक्षकार बनने के लिए केवियट प्रस्तुत किया है।

सत्यमेव जयते!
–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

कई वर्षों से आयकर की दरें व नियम वेतनभोगी कर्मियों के लिए अव्यवहारिक

प्रो. डॉ. वीर बहादुर सिंह

आजकल इनकम टैक्स रिटर्न विभाग को जमा करने की चर्चायें जोरों पर हैं। ऐसा सदैव होता है क्योंकि रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून होती है। चाणक्य नीति के अनुसार राज्य को व्यक्ति की कमाई से कुछ भाग टैक्स के रूप में लेने का नियम बना हुआ है और पीछे जाएं तो मैं कह सकता हूं कि कमाई से टैक्स के रूप में राज्य को 1/6 भाग लेने का नियम राजा हर्षवर्धन के काल में भी प्रचिलित था।

यहां प्रश्न उठता है कि वर्तमान में जो टैक्स की दरें राज्य ने निर्धारित कर रखी हैं वे पूर्व में प्रचिलित दरों में संशोधन होते-होते वर्तमान स्वरूप में आई हुई हैं यह पता नहीं लगता कि दरों में बदलाव एवं पुनर्निर्धारण किन मापदण्डों के आधार पर किया जाता है? राज्य आर्थिक समीक्षा तो करवाता है परन्तु उसकी भी विश्वसनीता संदिग्ध है। अत: मेरा कहना है कि वर्तमान आयकर दरें और उनके नियम अव्यवहारिक तो हैं ही, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असंतुलित एवं आयकर दाता को गरीब की सीमा की ओर धकेलती रहती है। निचले स्तर के आयकर दाता को इस समय यही समस्या सबसे अधिक सालती और कष्ट देती है। यहां एक बड़ा प्रश्न है कि वेतनभोगी टैक्स बचाने के उपाय क्यों ढूंढ़ते रहते हैं? व्यापार करने वाले तो अपनी कमाई छिपाने के अनेक यत्न कर लेते हैं तथा दस लाख की आय करने वाले वेतन भोगी भी किसी संस्थान को चंदा आदि देकर अपना टैक्स घटा लेते हैं। लेकिन 5 लाख से 10 लाख आय अर्जित करने वाले लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन चला पाते हैं उन्हें समाज में एक सम्मानीय जीवन स्तर भी ढोना पड़ता है। उच्च न्यायालय के जजों ने जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन व अन्य सुविधाएं देने पर ऐतराज़ यही कह कर प्रतिवेदन ख़ारिज किया कि एक सम्मान जनक जीवन जीने के लिए ये सुविधाएं जनप्रतिनिधियों को दिया जाना जरूरी है। इससे क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अन्य को वैसी सुविधायें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं? क्या एक वेतन भोगी को जनप्रतिनिधि की पेंशन व अन्य परिलाभ के बराबर निम्नतम वेतन नहीं मिलना चाहिए? ताकि वेतन भोगी भी सम्मानजनक जीवन जी सके लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता, फ़लस्वरूप विसंगतियां बढ़कर असंतोष पैदा करती हैं। मैं यह मानता हूं कि वित्त मंत्री को सभी का सामाजिक और आर्थिक स्तर मालूम नहीं होता है फिर भी राज्य के पास अनेक आर्थिक विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। क्या उनकी कोई भूमिका वित्त मंत्री को आयकर दरों के बदलाव व् संशोधन के समय सलाह देने की नहीं होती है? क्या देश की जनता से कोई फीडबैक इसके लिए लिया जाता है संभवत: नहीं तो फिर सरकार जनता की तो है लेकिन जनता के लिए संभवत: बिलकुल नहीं।

जहां तक टैक्स चोरी की बात है निम्न श्रेणी के लोग अपेक्षाकृत बहुत कम बेईमान हैं और संपन्न व धनी सबसे अधिक बेईमान व चोर। इनमें भी राजनैतिक लोग सबसे अधिक भ्रष्ट और बेईमान हैं। क्या यह सरकार को पता नहीं? पता है और सरकार ही ऐसे लोगों को पोषती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? आयकर की निम्नतम दर 5 प्रतिशत है वो भी 2.5 लाख से 5 लाख तक। क्या 5 लाख से 10 लाख आय की श्रेणी के लिए आयकर की दर 10 प्रतिशत नहीं हो सकती थी जो 5 प्रतिशत से उछलकर सीधे 20 प्रतिशत 10 लाख की आय तक क्या 10 प्रतिशत की दर अप्रत्याशित व वाजिब नहीं थी? क्या यह प्रोविजन केवल छोटी आय वालों को नींबू के समान निचोड़ने के लिए नहीं किया गया?

वेतन भोगियों के लिए कितने नाटक समितियां, कमीशन, बहस और पता नहीं क्या क्या? मुझे याद है जब मोरारजी भाई वित्त मंत्री थे, वे सदैव विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाते और टैक्स की दरें ऐसी निर्धारित की जाती जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं होती। नशे की वस्तुएं, फ्रीज़, कूलर, मोटरगाड़ी, आदि अनेक उत्पादों को वे टैक्स की परिधि में रखते। आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीजें कम मूल्य पर ही उपलब्ध होती। दरें भी ऐसी होती कि लोग सहर्ष उन्हें स्वीकार करते। उस समय जनप्रतिनिध भी सदन में तैयारी कर आते और सामान्य वस्तुओं के मूल्य न बढे, उसके लिए सदन में सरकार को घेर लेते। अब ऐसा नहीं होता बजट अमूमन कॉन्फिडेंटिअल होता है जब तक कि उसे सदन में पेश न कर दिया जाय। अब शासन में जो राजनैतिक पार्टी होती है उसका कोई भी सदस्य बजट के बारे न तो कोई कमी बताता और न ही कोई संशोधन।

ढाई लाख वार्षिक वेतन पाने वाले वेतन भोगी को प्रति माह वेतन 20834 रुपये पड़ता है अर्थात 694 रुपये प्रतिदिन, जो एक स्किल्ड लेबर की मज़दूरी होती है। वेतन भोगी कर्मचारी को तथाकथित सम्मानजनक जीवन के लिए कम से कम 7000 से 8000 रुपये माहवार पर किराये का मकान मिलेगा, यदि वो शादी शुदा और दो बच्चे भी हैं, तो उनकी स्कूलिंग, आदि पर कम से कम 1500 से 2500 प्रतिमाह शिक्षा पर, चार प्राणियों की कपडे ड्रेस आदि पर 2500, खाद्य पदार्थ दूध, घी, तेल, शक्कर, आटा, चावल-दाल, सब्जी, मसाले आदि पर 12 से 15 हज़ार के बीच व अन्य आकस्मिक आवश्यक खर्च, माता-पिता व अन्य सम्बन्धियों से व्यवहार व किसी पारिवारिक उत्सव पर 500 से 600 रुपया प्रति माह।

वर्तमान में अनेक तथाकथित विशेषज्ञ टैक्स से सम्बंधित विडिओ बना कर सोशल मीडिया को पाट रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 लाख वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र और कुछ नहीं। मैंने कही पढ़ा था कि कुल आयकर का साठ प्रतिशत छोटे और मध्यम वर्ग से राजस्व आता है। वास्तविकता में मध्यम वर्ग अब 10 से 30 लाख आय का है। दस लाख तक तो निम्न आय वर्ग ही है। दस से तीस लाख आय की श्रेणी को फिलहाल निम्न मध्यम और उच्च मध्यम में बांटा जा सकता है। सरकार को चाहिए कि बिना अगले बजट का इंतज़ार किये मिड टर्म संशोधन कर 10 लाख तक की आय इनकम टैक्स से तुरंत प्रभाव से मुक्त करे। कर्मचारिओं के बिभिन्न संगठनों को भी चाहिए कि वे अपने कर्मचारिओं के हित हेतु यह मांग सरकार को रखे। क्योंकि माँ भी बिना रोये बच्चे को दूध नहीं पिलाती।

– प्रो. डॉ. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-राजस्थान

रीछड़ा पंचायत की करीब 100 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा

- चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन
- भीलवाड़ा-शाहपुरा मार्ग पर जाम लगा विरोध जताया

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के सदर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत रीछडा की सौ बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर तीन बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने भीलवाड़ा-शाहपुरा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गये और जमकर प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रीछडा की 300 बीघा चरागाह भूमि है। उसमें से करीब 100 बीघा पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। कई भूमाफियाओं ने पक्के मकान तक बना लिये। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर पूर्व में ग्राम पंचायत रीछडा को लिखित में सूचना देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तहसीलदार व एसडीएम को भी लिखित में सूचना दी है लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।

इस कारण भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद हो गये और वे बेखौफ होकर अतिक्रमण करते जा रहे है। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जिसमें दस दिन में उचित कार्रवाई नहीं होने पर गांव वालों के द्वारा रोड जाम करने की चेतावनी भी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस चेतावनी व मांग के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पडा और आज सडक पर उतर कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि अतिक्रमण की समस्या से ग्रामीण खासे परेशान हैं। आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं।

जाम की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण कलेक्टर को मौके पर बुलाने और हाथों-हाथ कार्रवाई की मांग करने लगे। बाद में तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मांग सुनी। मौका निरीक्षण किया जो भी अतिक्रमी मौके पर मिला, उसे अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी। इसके बाद ग्रामीण आश्वस्त हो गये और जाम खोल दिया।

राशन डीलर ने अनाज वितरण में फर्जीवाड़ा किया, मामला दर्ज

हनुमानगढ़, (निसं)। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क मिलने वाले गेहूं को राशन दुकानदार ने निजी हित में इस्तेमाल किया। दुकानदार ने राशन कार्ड धारकों को गेहूं बांटा ही नहीं। राशन कार्ड धारकों की ओर से जिला रसद अधिकारी को दी गई शिकायत के बाद जांच में इसका पता चला। इस बारे में भादरा पुलिस थाना में ग्राम कलाना के उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

जानकारी के अनुसार भादरा के कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक देवकरण स्वामी निवासी साहवा ने रिपोर्ट दी कि ग्राम कलाना के 4 राशन कार्ड धारकों की ओर से शिकायत की गई थी कि उन्हें उचित मूल्य दुकानदार रतनसिंह ने जून 2021 महीने में खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला गेहूं बांट दिया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क मिलने वाला गेहूं नहीं दिया, लेकिन उनके राशन कार्ड में नि:शुल्क गेहूं भी जोड़कर वितरण करना बताया है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ ने ग्राम पंचायत कलाना के उचित मूल्य दुकानदार रतनसिंह के खिलाफ शिकायत मिलने पर 30 जून 2021 को मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान बयानों में शिकायतकर्ता दिलीप, सावित्री देवी, रामी और आदराम ने बताया कि उनको 10 जून 2021 को उचित मूल्य दुकान से अतिरिक्त गेहूं नहीं मिला है।

शिकायतकर्ताओं के बयानों के अनुसार पाया गया कि दुकानदार रतनसिंह ने इन राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त नि:शुल्क गेहूं का वितरण नहीं किया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार की ओर से कुल 75 किलोग्राम गेहूं का निजी हित में दुरुपयोग किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार की ओर से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार ने 13 किलोग्राम दाल, 40 किलोग्राम चीनी, 350 किलोग्राम गेहूं एवं 17.50 लीटर केरोसिन का गलत ट्रांजैक्शन किया है।

कृषि विभाग के अधिकारियों की अनदेखी: फागी क्षेत्र में नकली बीज बिक रहा है

- किसानों ने कृषि मंत्री से नकली बीज की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की

फागी, (निसं)। एक तरफ तो केंद्र व राज्य सरकार किसानों के लिए नाना प्रकार की योजनाएं चलाकर किसानों को लाभान्वित करने का ढिंढोरा पीट रही हैं लेकिन दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से फागी कस्बे सहित क्षेत्र में नकली बीज का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिससे किसान ठगा सा महसूस कर रहा है।

किसानों ने बताया कि क्षेत्र के किसान दुकानदारों का विश्वास कर बीज खरीद कर बुवाई कर देते हैं। परंतु नकली बीज होने से फसल नहीं उग पाती। जिससे किसानों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। जिससे किसानों के मन में धोखेबाजी होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। किसानों ने खाद बीज के व्यापारियों की जांच करने व नकली बीज के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। फागी उपखंड क्षेत्र के किसान हरिराम ने बताया कि सरकार ने एक तरफ तो किसानों को नाना प्रकार की लाभान्वित योजनाएं देने का ढकोसला पीट रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के अधिकारियों की अनदेखी से नकली बीज का कारोबार फल-फूल रहा है। जिससे किसानों को कई बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान शंकर गुर्जर ने बताया कि गत वर्ष भी किसानों को व्यापारी ने मूंगफली का नकली बीज दे दिया था, जिससे फसल नहीं उगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। क्षेत्र में नकली बीज बिकने की सूचना कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को होने के बावजूद भी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। संबंधित अधिकारी शिकायत कर्ता को यह कहकर टरका देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। नकली बीज बेचने वाले व्यापारी का सबूत लाओ, तो कार्रवाई करें। जिससे किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन कृषि मंत्री को भेज कर फागी कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में चल रहे नकली बीज के निर्माताओं व विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

कृषि अधिकारी रेखा चौधरी का कहना है कि पूरे जिले में नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। टीमें गठित कर जगह-जगह दबिश देकर नकली बीज बेचने वाले व्यापारी व निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फागी खाद बीज विक्रेता संघ के अध्यक्ष कन्हैया लाल माहेश्वरी का कहना है कि अगर कोई दुकानदार नकली बीज बेचता पाया जाता है तो यूनियन उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगी।

राशिफल शुक्रवार 24 जून, 2022

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, अश्विनी नक्षत्र प्रात: 8:04 तक, सुकर्मा योग शनिवार प्रात: 5:13 तक, बव करण दिन 10:27 तक, चन्द्रमा मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मीन, बुध-वृष, गुरू-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग सूर्योदय से प्रात: 8:04 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रात: 8:04 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 11:13 से सूर्योदय तक है। आज योगिनी एकादशी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:21 तक, लाभ-अमृत 7:21 से 10:46 तक, शुभ 12:29 से 2:12 तक, चर 5:37 से सूर्योदय तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:38, सूर्यास्त 7:20

मेष
अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

सिंह
धार्मिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ने का भय है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है।

मकर
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।